Paper 5th, Paper Name- मुस्लिम विधि Unit -3rd

(Muslim Law)

प्र-1 तलाक के विभिन्न रुपो कि विवेचना कीजिये! तलाक-उल सुन्नत एव तलाक-उल विध्दत मै प्रभेद कीजिये! क्या एक पति अपने तलाक देने के अधिकार को अपनी पत्नी को अपिति कर सकता है?

उत्तर्- तलाक -

अर्थ-अरबी में 'तलाक' शब्द का अर्थ होता है-**निराकरण करना** या नामंजूर करना। प मुस्लिम विधि के अन्तर्गत इसका अर्थ वैवाहिक बन्धन से मुक्त करना है। वह हर प्रकार के विवाह विच्छेद का एक व्यापक नाम है। मुस्लिम विधि में कोई स्वस्थचित्त एवं वयस्क पति अपनी पत्नी को बिना कोई कारण वताये अपनी इच्छा से जब चाहे तब तलाक दे सकता है। हनफी विधि के अन्तर्गत विवशता या नशे में दिश गया तलाक वैध और प्रभावी होता है। मुस्लिम विधि की अन्य विचार पद्धतियों के अनुसार विवशता या नो में उच्चारण किये गये तलाक का कोई प्रभाव नहीं होता! शिया लोग तलाक देते समय दो साक्षियों की उपस्थिति को जरूरी समझते हैं।

तलाक की सामर्थ्य (Capacity for Talaq)-मान्य तलाक का उच्चारण करने के लिये पति में नीचे दी गई अर्हताएं होना आवश्यक है

शिया विधि-यदि वह शिया मुसलमान है तो उसे (1) वयस्क (बालिग) , (2) स्वस्थ चित्त (आकिल), (3) स्वतन्त्र इच्छा वाला (मुख्तार) और (4) कार्य की प्रकृति की जानकारी रखने वाला (कस्द) होना आवश्यक है।

सुन्नी विधि- कोई भी स्वस्थचित्त मुसलमान, जो वयस्क हो गया हो, जब चाहे, बिना किसी कारण के भी 'तलाक' का उच्चारण करके अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है (हेदाया)। इस तरह से सुन्नी विधि के अनुसार, जो कोई भी (1) वयस्क और (2) स्वस्थचित्त हो, तलाक दे सकता है।

यदि पति अस्वस्थचित्त है तो उसके संरक्षक द्वारा उस तरफ से दिया गया तलाक मान्य है, यदि ऐसा करना पति के लिये लाभप्रद हो।

मौखिक या लिखित (Oral or in writing) तलाक-तलाक (1) मौखिक रूप से या (2) लिखित दस्तावेज, (तलाकनामा) के द्वारा दिया जा सकता है।

PGSNationalCollegeOfLaw

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

मौखिक तलाक (Oral Talaq)—पति बिना किसी तलाकनाम के सिर्फ शब्दों के उच्चारण से भी तलाक दे सकती है और शब्दों का कोई विशेष रूप जरूरी नहीं है। यदि शब्द स्पष्ट है और उनसे तलाक दिया जाना अच्छी तरह स्पष्ट है तो आशय के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यदि प्रयोग में लाये गये शब्द अनिश्चित हों तो शब्द प्रयोग करने वाले के आशय को प्रमाणित किया जाना जरूरी होता है।"मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। "मैं हमेशा के लिये अपनी पत्नी को तलाक देता हूँ !

लिखित तलाक (Talaq in writing) तथा तलाकनामा-तलाकनामा केवल मौखिक तलाक दिये जाने का लेख हो सकता है, या वह ऐसा दस्तावेज हो सकता है जिसके द्वारा तलाक दिया गया हो। तलाकनामा काजी या पत्नी के संरक्षक या दूसरे साक्षियों की उपस्थिति में लिखा जा सकता है। पत्नी का उपस्थित रहना आवश्यक नहीं है।

गुंगे व्यक्ति द्वारा तलाक-किसी गूंगे व्यक्ति द्वारा दिया गया तलाक तभी मान्य है, यदि वह स्वीकारात्मक एवं समझ में आने लायक इशारों से किया गया हो।

पत्नी की अनुपस्थिति में तलाक-यह जरूरी है कि तलाक का उच्चारण पत्नी की उपस्थिति में किया जाय या उसको सम्बोधित ही हो। पत्नी की अनुपस्थिति उसे शून्य या निष्प्रभावी नहीं बना देती, परन्तु यदि वह उपस्थित न हो तो यह जरूरी है कि उसका निर्देश नाम से किया जाय या तलाक के शब्द स्पष्टतया उसकी ओर निर्देश करते हों।

(क) विवशता (Compulsion), नशे (Intoxication) या मजाक (Jest) की हालत में तलाक

(क) विवशता में तलाक (Talaq under compulsion)- सुन्नी विधि में विवशता में भी दिया गया तलाक मान्य और प्रभावी होता है। पति का इरादा न होते हुए भी पिता को प्रसन्न करने के लिये दिया गया तलाक सुनी विधि के अन्तर्गत मान्य होता है। शिया विधि के अन्तर्गत ऐसा तलाक अमान्य होता है

(ख) नशे में तलाक (Talaq under intoxication)- सुन्नी विधि में जब तक कि इच्छा के विरुद्ध नशा न दिया गया हो, नशे में दिया गया तलाक भी मान्य होता है। परन्तु शिया विधि के अन्तर्गत मान्य नहीं होता है।

PGSNational College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(ग) मजाक में तलाक (Talag in Jest)- सूत्र विधि के अन्तर्गत हंसी, खेल, मजाक या जिह्न की भूल से उच्चारित तलाक मान्य होता है। परन्तु शिया विधि के अन्तर्गत मजाक में दिया गया तलाक अमान्य होता है!

तलाक के विभिन्न तरीके (Different modes of Talaq)

निम्नलिखित तरीकों में से किसी भी तरीके से तलाक दिया जा सकता है

(1) तलाक-उल-सुन्नत

(i) तलाक-ए-अहसान, (ii) तलाक-ए-हसन ।

(2) तलाक-उल-बिद्दत

(1) तलाक-उल-सुन्नत-यह तलाक पैगम्बर साहब की परम्परा के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। इसके दो उपभाग हैं-(i) अहसान (Aksan) और (ii) हसन (Hasan)।

(i) अहसन-इस अरबी शब्द का अर्थ है-'सर्वश्रेष्ठ' या विल्सन के मत से 'अति उत्तम' । इससे य स्पष्ट होता है कि अहसन रीति में दिया गया तलाक सबसे उत्तम तलाक हैं। अहसन होने के लिये तलाक का कार्यवाही में कुछ शर्तों की पूर्ति करना जरूरी है जो निम्नवत हैं

(क) पति द्वारा एक ही वाक्य में तलाक की व्यवस्था का उच्चारण करना जरूरी है,

(ख) स्त्री का तुह (मासिक धर्म स्थिति में नहीं) में होना जरूरी है,

(ग) इसे इद्दत की अवधि में संभोग से विरत रहना जरूरी है।

यदि विवाह का समागम नहीं हुआ है तो अहसान रूप से तलाक का उच्चारण पत्नी के मासिक धर्म के समय में किया जा सकता है। जब स्त्री मासिक धर्म के अधीन नहीं है (वृद्धावस्था या किसी अन्य कारण से) अथवा पति-पत्नी एक दूसरे से दूर हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि तलाक का उच्चारण तुह (पाक-अवस्था) की स्थिति में किया जाय। अहसान रोति से दिया गया तलाक इद्दत की अवधि तक निवर्तनीय (revocable) होता है। इद्दत की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ऐसा तलाक अनिवर्तनीय हो जाता है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

(ii) हसन-अरबी में 'हसन' शब्द का अर्थ होता है-'अच्छा'। विल्सन उसका अनुवाद करते हैं उचित' जैसा कि इन शब्दों से प्रकट होता है-'हसन' रूप में उच्चारण किया गया तलाक 'अहसन' रूप में उच्चारण किये गये तलाक से कम अनुमोदित है। तलाक-ए-हसन में 'तलाक' शब्द का उच्चारण तीन बार होता है, परन्तु हर उच्चारण अलग तुहों में होता है। इसके अतिरिक्त आवश्यक यह भी है कि प्रत्येक उच्चारण उस समय होना चाहिये जबकि उस विशेष तुह में पति-पत्नी के बीच में सम्भोग न हुआ हो। हसन रूप के तलाक की कार्यवाही में आगे दी गई शर्तें पूरी करना जरूरी है

(क) तलाक की शब्दावली या सूत्र (Formula) का कम से कम तीन अलग-अलग तुहों में उच्चारण किया जाना जरूरी है।

(ख) यदि पत्नी को मासिक धर्म होता तो पहली बार उच्चारण 'तुह' की हालत में और तीसरी बार उसके बाद की तुह की हालत में।

(ग) यदि पत्नी को मासिक धर्म न होता हो तो उच्चारण तीस दिन के अंतराल पर किया जाना चाहिए

(घ) तुड की इन तीन अवधियों में सम्भोग बिल्कुल न होना चाहिये।

(2)तलाक-उल-बिद्दत-इसे तलाक-उल-बैन के नाम से भी जाना जाता है। यह तलाक का निन्दित या पापमय रूप है। विधि की कठोरता से बचने के लिये तलाक की यह अनियमित रीति ओमेदिया लोगों ने हिजा की दूसरी शताब्दी में जारी की थी। शाफई और हनफी विधियाँ तलाक उल-बिद्दत को मान्यता देती हैं यद्यपि वे उसे पापमय समझते हैं। शिया और मलिकी विधिशास्त्री तलाक के इस रूप को मान्यता ही नहीं देते । तलाक की यह रीति नीचे लिखी बातों की अपेक्षा करती है

(i) एक ही तुहर के दौरान किये गये तीन उच्चारण, चाहे ये उच्चारण एक ही वाक्य में हों "जैसे-मैं तुम्हें तीन बार तलाक देता हूँ।" अथवा चाहे ये उच्चारण तीन वाक्यों में हों जैसे " मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हे तलाक देता हूँ।"

(ii) एक ही तुहर के दौरान दिया गया एक ही उच्चारण, जिससे अनिवर्तनीय (रद्द न हो सकने वाला) विवाह विच्छेद करने का आशय साफ प्रकट हो, जैसे "मैं तुम्हें अनिवर्तनीय (Irrevocable) रूप में तलाक देता हूँ।

न्यायिक विवाह-विच्छेद (मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939)

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

Paper 5th, Paper Name- मुस्लिम विधि Unit -3rd

(Muslim Law)

मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम के पारित होने से पूर्व किसी मुस्लिम पत्नी को उसके विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान करने के लिये भारत में केवल दो आधारों को मान्यता प्राप्त थी :

1.पति की नपुंसकता और

2. परपुरुषगमन का झूठा आरोप (लिअन)

मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाहित स्त्री अपने विवाह के विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है। वे आधार है!

(1)पति की अनुपस्थिति (Absence of husband)- यदि पति चार साल से लापता रहे तो मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाहिता स्त्री अपने विवाह-विच्छेद की डिक्री पाने की हकदार हो जाती हैं। इस आधार पर पारित डिक्री, डिक्री की तिथि से छः महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगी और यदि डिक्री पारित होने के छः महीने के भीतर पति आ जाय और न्यायालय को इस बारे में सन्तुष्ट कर दे कि वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिये प्रस्तुत है, तो न्यायालय को उक्त डिक्री को अपास्त (रद्द) कर देना पड़ेगा।

(2) पत्नी का भरण-पोषण करने में असफलता (Failure to maintain)- यदि पति दो साल तक पत्नी के भरण-पोषण के प्रबन्ध करने में उपेक्षा करे या असफल रहे तो भी मुस्लिम विधि के अन्तर्गत दाम्पत्य विवाहिता स्त्री विवाह विच्छेद की डिक्री की हकदार हो जाती है।

(iii) पति का कारावास (Imprisonment of husband)-यदि पति को सात साल या अधिक के कारावास का दण्ड दिया गया हो तब पत्नी न्यायालय से विवाह-विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है। पारित नहीं की जा परन्तु जब तक कि दण्डादेश अन्तिम (Final) न हो गया हो, इस आधार पर डिकी पारित नहीं की सकती।

(iv) दाम्पत्य दायित्वों के पालन में असफलता (Failure to perform material obligations)-यदि विना उचित कारण के पति ने तीन साल तक दाम्पत्य दायित्वं का पालन नहीं किया है तो पली विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है । मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत 'पति'।

(v) पति की नपुंसकता (Impotency of husband)-यदि पति विवाह के समय नमुंसक था और अब भी है तो पत्नी विवाह-विच्छेद की न्यायिक डिक्री प्राप्त करने की हकदार है ।

PgsNationalCollegeOfLaw

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

डिक्री पारित करने से पूर्व न्यायालय पति के आवेदन पर उससे यह अपेक्षा करते हुए एक आदेश पारित करेगा कि ऐसे आदेश पाने के एक साल के अन्दर वह न्यायालय को इस बारे में आश्वस्त कर दे कि वह नपुंसक नहीं रह गया है और यदि वह ऐसा कर दे तो डिकी पारित नहीं की जायेगी पति तब नपुंसक कहा जायेगा जबकि वह सम्भोग करने में असमर्थ हो । नपुंसकता शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। पुरुष की शारीरिक नपुंसकता दो प्रकार की होती है पूर्ण (absolute) और सम्बन्धित (relative)। 'पूर्ण नपुंसकता से तात्पर्य किसी पुरुष का सभी नारों के प्रति नपुंसकता से है। सम्बन्धित नपुंसकता' में पुरुष केवल विशेष नारी के साथ ही नपुंसक होता है, परन्तु अन्य नारियों के संग नहीं। पति को पूर्ण रूप से नपुंसक होना आवश्यक नहीं है। यदि वह अपनी पत्नी के साथ सम्भोग करने में असमर्थ है तो वह नपुंसक माना जायेगा, भले ही वह अन्य महिलाओं के साथ सम्भोग करने में समर्थ हो।

मानसिक नपुंसकता तब होती है जब पुरुष के मैथुन कार्य के प्रति अनियन्त्रित घृणा हो। ऐसी नपुंसकता के अन्तर्गत शारीरिक सामर्थ्य होते हुए भी मैथुन करने की अनिच्छा होती है ।

(vi) पति का पागलपन (Insanity of husband)-अधिनियम की धारा 2 (vi) यह उपत्रन्धित करती है कि यदि पति दो साल से पागल रहा हो या कष्ट रोग अथवा उग्र रतिज (virulcnt venereal) रोग से पीड़ित हो। अन्तिम दोनों रोगों का दो वर्ष से होना आवश्यक नहीं है।

(vii) पत्नी द्वारा विवाह की अस्वीकृति (Repudiation of marriage by wife)-अधिनियम की धारा 2(vii) में यह प्रावधान है कि यदि पन्द्रह वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पत्नी का विवाह पिता या दूसरे संरक्षक द्वारा किया गया हो और उसने 16 साल को आयु हो जाने से पहले विवाह को अस्वीकार कर दिया हो और विवाह पूर्णावस्था को न प्राप्त हुआ हो तो पत्नी न्यायिक विवाह-विच्छेद की डिक्रो प्राप्त कर सकती है। इस आधार पर विवाह-विच्छेद की डिक्री तभी पारित हो सकती है जब पली यह सिद्ध करे कि

(1) उसका विवाह उसके पिता या अन्य संरक्षक द्वारा कराया गया था.।

(2) पन्द्रह वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात किन्तु अठारह वर्ष की अवस्था के पूर्व उसने विवाह को अस्वीकार कर दिया और

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGSNational College of Law

(3) विवाह का सम्भोग (Consummation) नहीं हुआ है।

(**vii) पति की निर्दयता (Cruelty of husband)**-अधिनियम की धारा 2(viii) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि पत्नी विवाह-विच्छेद की न्यायिक डिक्री प्राप्त कर सकती है. यदि पति उससे निर्दयता का व्यवहार करता हो, अर्थात्

(1) पति उसे अक्सर पीटता है या उससे ऐसी क्रूरता का व्यवहार करता हैं कि उसका जीवन दुखमय हो जाता है, भले ही ऐसा व्यवहार शारीरिक दुर्व्यवहार न भी होता हो, या

(2) कुख्यात स्त्रियों का साथ करता हो या बदनामी की जिन्दगी बिताता हो, या

(3) उसे अनैतिक जीवन बिताने के लिये बाध्य करने का प्रयत्न करता हो,या

(4) उसकी सम्पत्ति का अन्तरण करता या उस पर उसको (पति को) अपने विधिक अधिकारों के प्रयोग से रोकता हो।

(5) उसको अपने धर्म-पालन से रोकता हो।

(6) अगर उसकी एक से अधिक पलियाँ हैं और कुरान के अनुसार उनके साथ साम्यपूर्ण व्यवहार नहीं करता।

PGSNational College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न-2 मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कितने प्रकार के संरक्षक मान्य है। प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों की विवेचना कीजिये?

उत्तर-संरक्षकता के प्रकार

मुस्लिम विधि तीन प्रकार की संरक्षकता को मान्यता देती है, जो निम्नलिखित है

(1) विवाह में संरक्षकता (Jabar)

(2) अभिरक्षा या 'हिजानत' (Hizanat) के लिये अवयस्क के शरीर की संरक्षकता।

(3) अवयस्क की सम्पत्ति की संरक्षकता, जिसके नीचे दिये गये उपयोग हैं

(i) विधित: संरक्षकता (de jure guardianship)

(ii) वस्तुतः संरक्षकता (de facto guardianship)

(iii) प्रामाणिक संरक्षकता (certificated guardianship)

विवाह में संरक्षकता

जैसा कि विवाह के अध्याय में कहा जा चुका है, मान्य विवाह का यह एक आवश्यक तत्व है कि पक्षकार विवाह की संविदा के लिये सक्षम हों, अर्थात् और बातों के अलावा उन्होंने वयस्कता की आयु (15 वर्ष) प्राप्त कर ली हो तथापि इस सामान्य नियम का एक अपवाद भी है। किसी अवयस्क की तरफ से उसके विवाह की संविदा उसके संरक्षक द्वारा की जा सकती है।

पैगम्बर साहब का कथन है कि विवाह के द्वारा पैतृक रक्त सम्बन्ध स्थापित होता है और रिश्तेदारों को भी अवयस्क का विवाह करने का बिल्कुल उसी तरह से अधिकार प्राप्त है जैसा कि उसे उत्तराधिकार के मामले में प्राप्त है। [विलसन, पैरा 93, तैय्यबजी, पैरा 63] । अमीर अली के अनुसार यह मुस्लिम विधि का महत्वपूर्ण अंग है कि पिता अपने अवयस्क पुत्र - पुत्रियों का विवाह कर सकता है।

PGSNational College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

विवाह् की संरक्षकता को 'जबर' कहा जाता है तथा इस प्रकार शक्तिसम्पन्न संरक्षक वली कहलाता है। इस प्रकार मुस्लिम विधि के अन्तर्गत सभी सम्प्रदायों में संरक्षक को अपने अवयस्क पुत्र-पुत्रियों का विवाह करने की शक्ति प्राप्त होती है। वह उनका विवाह उनकी इच्छा के अभाव में भी कर सकता है।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि विवाह में संरक्षकता के लिये न्यायालय किसी भी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त नहीं कर सकता है, यद्यपि संरक्षक के अभाव में काजी या न्यायालय स्वयं संरक्षक के रूप में

अवयस्क का विवाह तय कर सकता है ।। विवाह में संरक्षक नियुक्त करने के लिये यह आवश्यक है कि (i) वह स्वयं वयस्कता प्राप्त कर चुका हो, (ii) वह स्वस्थचित्त का हो, (iii) वह मुसलमान हो। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि एक गैर मुसलमान लड़की की शादी के लिए संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है अथवा नहीं।

शरीर की संरक्षकता (Guardianship of Person) अर्थात् हिजानत

अवयस्क लड़के और अवयस्क लड़कियों के शरीर की संरक्षकता का अधिकार 'हिजानत' कहलाता है। इस अरबी शब्द का अर्थ होता है-'बच्चे के भरण पोषण के लिये उसका संरक्षण '।

हिजानत (अभिरक्षा) का अध्ययन अवयस्क की आयु के सन्दर्भ में किया जाना चाहिये।

माँ-हनफी विधि के अन्तर्गत माँ तब तक अभिरक्षा (हिजानत) की हकदार होती है जब तक पुत्र सात. वर्ष का नहीं हो जाता या पुत्री यौवनावस्था (puberty) को आयु प्राप्त नहीं कर लेती। शफी और मलिकी विधि के अन्तर्गत माँ लड़की के विवाह तक उसके संरक्षक की हकदार होती है। बच्चे के पिता द्वारा तलाक दिये जाने पर भी उसका यह अधिकार है, परन्तु यदि बच्चे के पिता ने माँ को तलाक दे दिया है और तदुपरान्त माँ किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो वह ऐसे बच्चे की अभिरक्षा (Custody) के अधिकार से वंचित हो जायेगी।

श्रीमती इम्तियाज बानो बनाम **मसूद अहमद जाफरी** के वाद में श्रीमती इम्तियाज बानो (आवेदिका) का विवाह 14 जुलाई, 1967 को मसूद अहमद जाफरी से सम्पन्न हुआ। तीन पुत्र हुए जिनमें से सबसे छाट पुत्र की मृत्यु हो गयी। दो पुत्रों में से एक की आयु 5 वर्ष और दूसरे की 3 वर्ष थी। पति-पत्नी के बीच सम्बन्ध खराब होने के कारण तलाक दे दिया गया। यह निर्णय दिया गया कि माता दोनों अवयस्क बच्चों को अभिरक्षा के लिये हकदार

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGSNationalCollegeOfLaw

है। इस मुकदमें में फैसले का मुख्य आधार बच्चों का कल्याण है तथा बन्दी प्रत्यक्षीकरण आवेदन स्वीकार कर लिया गया ।

माँ के न होने पर अन्य स्त्री सम्बन्धी- माँ के ने होने पर सात वर्ष से कम आयू के बालक और गावस्था को न प्राप्त हुई बालिका को अभिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित स्त्री सम्बन्धियों को नीचे गये क्रम में पहुँचता है

1. माँ की माँ, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो।
2. पिता की माँ, चाहे जितनी पीढ़ी ऊपर हो।
3. सगी बहिन।
4. सहोदरा (uterine) बहिन।
5. सगोत्री बहिन।
6. सगी बहिन की लड़की।
7. सहोदरा बहिन की लड़की।
8. सगोत्री बहिन की लड़की।
9. मौसी, बहिनों के समान क्रम
10. बुआ, बहिनों के समान क्रम में।

अयोग्यताएँ-किन्तु माँ या उसकी स्त्री सम्बन्धियों का यह अधिकार नीचे दी गई अवस्थाओं में समाप्त हो जाता है

(i) यदि वह अनैतिक जीवन बिताती हो,

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGSNational College Of Law

(ii) यदि बच्चे की उचित देखभाल करने में उपेक्षा बरतती हो, या

(ii) यदि वह ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जो बच्चे का निषिद्ध आसक्तियों के भीतर सम्बन्धी न हो, परन्तु यदि ऐसा विवाह मृत्यु अथवा विवाह-विच्छेद के कारण विघटित हो जाता है तो माँ की अभिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित हो जाता है।

(iv) यदि विवाह के कायम रहते हुए वह पिता के स्थान से बहुत दूर रहने लगे।

दुसरे पुरुष-सम्बन्धी (Other male relatives) -माँ और दूसरे स्त्री सम्बन्धियों के होते पर अभिरक्षा (हिजानत) क्रम से नीचे दिये गये लोगों की हो जाती है।

1. पिता।

2. निकटतम पैतृक पितामह ।

3. सगा भाई।

4. सगोत्री भाई।

5. सगे भाई का लड़का।

6. सगोत्री भाई का लड़का।

7. पिता का सगा भाई।

8. पिता का सगोत्री भाई।

9. पिता के सगे भाई का लड़का।

10.पिता के सगोत्री भाई का लडका।

सम्पत्ति की संरक्षकता

PGSNational College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत सम्पत्ति की संरक्षकता का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है-

(i) विधितः (कानूनी) या नैसर्गिक संरक्षक

(ii) न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक (या प्रमाणित वली)

(iii) वस्तुत: संरक्षक।

(i) कानूनी संरक्षक (Legal Guardians) निम्नलिखित व्यक्ति नीचे दिये हुये क्रम के अवयस्क की सम्पत्ति को संरक्षकता के हकदार होते हैं

(1) पिता।

(2) पिता के वसीयतनामे द्वारा नियुक्त निष्पादक (Executor)।

(3) पिता का पिता

(4) पिता के पिता के वसीयतनामे द्वारा नियुक्त निष्पादक।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उपर्युक्त व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी किसी अवयस्क का नैसर्गिक या विधिक संरक्षक नहीं होता है।

अचल सम्पत्ति के बारे में कानूनी संरक्षकों की शक्ति-मुस्लिम विधि के अन्तर्गत कानूनी |संरक्षक अवयस्क को अचल सम्पत्ति को विक्रय या बन्धक के द्वारा अन्तरित नहीं कर सकते, सिवा उस स्थिति के जबकि अन्तरण (क) सर्वधा आवश्यक हो, या (ख) अवयस्क के स्पष्ट लाभ के लिये हो। इस् प्रकार नीचे लिखी स्थितियों में कानूनी संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति से संव्यवहार करने का अधिकार होता है

(1) जब मृत व्यक्ति, जिससे अवयस्क की सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हो, के ऋणों और वसीयत (Legacy) द्वारा दी हुई सम्पत्ति के भुगतान का कोई दूसरा साधन न हो।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

(2) जब अवयस्क की जीविका का कोई दूसरा साधन न हो और उनके भरण-पोषण के लिए विक्रय सर्वथा जरूरी हो।

(3) जब वह सम्पत्ति का दोगुना प्राप्त कर सके।

(4) जहां सम्पत्ति का खर्च आमदनी से अधिक

(5) जहाँ सम्पत्ति का क्षय हो रहा हो।

(6) जब सम्पत्ति हड़प ली गई हो और संरक्षक को इस आशंका के लिये कारण हो कि मूल्य उचित नहीं मिलेगा।

(i) चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कानूनी संरक्षण की शक्तियाँ- अवयस्क का अनिवार्य आवश्यकताओं, जैसे- भोजन, वस्त्र और पालन के लिये अवयस्क की सम्पत्ति के संरक्षक को उसके और चल सम्पत्ति (Chattels) को विक्रय करने या बन्धक रखने की शक्ति होती है।

(ii) न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक-कानूनी संरक्षक के अभाव में अवयस्क की सम्पत्ति के देखभाल और सुरक्षा के लिये संरक्षक (वली) नियुक्त करने का कर्तव्य न्यायाधीश पर आता है संरक्षण नियुक्त करते समय न्यायालय अवयस्क के कल्याण की ओर ध्यान रखते हुए चाचा के बजाय माँ को अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकता है। संरक्षक नियुक्त करते समय न्यायालय पिता की इच्छा और अवयस्क के हितों को ध्यान में रखता है। माँ को संरक्षिका नियुक्त करने में उसका पर्दानशीन होना बाधा नहीं उत्पन्न करेगा।

PGSNationalCollege Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

प्रश्न-3 मुस्लिम पत्नी के भरण -पोषण के अधिकार का वर्णन कीजिये । विधवा या तलाकशुदा पत्नी के भरण - पोषण के अधिकार के सम्बंध में अघतन विधि का वर्णन कीजिये।

उत्तर-

पत्नी (Wife) : (क) विवाह कायम रहने के दौरान-पति अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिये बाध्य है। पति का पत्नी को भरण पोषण प्रदान करने का दायित्व उस समय प्रारम्भ होता है जबकि पत्नी यौवनावस्था को प्राप्त हो जाती है, इसके पहले नहीं। पत्नी पति से भरण-पोषण पाने की अधिकारिणी है, भले ही वह सम्पन्न हो और पति गरीब। पत्नी चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, गरीब हो या अमीर, स्वस्थ हो या रोगी, युवी हो, या वृद्ध, वह सभी अवस्थाओं में पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है। पति उसे भरण-पोषण का करार न होने पर भी भरण-पोषण प्रदान करने के लिये बाध्य है। इस स्थिति में उसका भरण-पोषण का अधिकार निरपेक्ष है। यदि पत्नी के पास निजी सम्पत्ति या आमदनी हो तो भी उसका अधिकार ज्यों का त्यों बना रहता है। इसके अतिरिक्त वह उसे करार किये हुए अन्य खर्च जैसे-खर्च-३ पानदान, गुजारा, मेरा खोरी आदि भी देने के लिये बाध्य है। यद्यपि मस्लिम विधि के अन्तर्गत, पात एकके अधिक पत्नियां एक साथ रखने के लिये स्वतन्त्र हैं, फिर भी यदि वह दसरा विवाह करता है तो प्रथम क भरण-पोषण एवं पृथक निवास के लिये दावा करने की हकदार है । चाँद पटेल बनाम विस्मिल्लाह बेगम के वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या एक पत्नी स्वयं अपने और अपनी अवयस्क पुत्री के लिए, जबकि उसका विवाह अनियमित (irregular) हैं, भरण-पोषण की हकदार है।

इस वाद में एक महिला ने अपनी बहन के जीवित रहते हुए उसकी सहमति से, जीजा से विवाह कर लिया। इस विवाह से एक पुत्री ने जन्म लिया। कुछ दिन पश्चात इस व्यक्ति ने इस पत्नी की उपेक्षा शुरू दी। जब इस पत्नी ने स्वयं अपने तथा पुत्री के भरण-पोषण की माँग की तो पति ने मना कर दिया और कहा कि उसका विवाह मुस्लिम विधि के अन्तर्गत शून्य है क्योंकि इस विधि के अन्तर्गत एक व्यक्ति दो बहनों से एक साथ विवाह नहीं कर सकता।

उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में निर्धारित किया कि मुस्लिम विधि के वहत ऐसे विवाह अनियमित होते हैं तथा जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इन्हें शून्यपित नहीं कर दिया जाता पत्नी एवं पुत्री को भरण-पोषण का अधिकार है।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGSNational College Of Law

निम्नलिखित परिस्थितियों में पति उसका भरण-पोषण करने के लिये बाध्य है। |

1. उसने यौवनावस्था (pubenty) प्राप्त कर ली है अर्थात् ऐसी अवस्था जिसमें वह अपने पति के दाम्पत्य अधिकारों को पूरा कर सकती है।

2, वह अपने को उसके अधिकार में समर्पित कर देती है या कर देने को प्रस्तुत है,जिसमें कि पति हर वैध समय पर उसके पास बेरोक-टोक पहुँच सके और वह उसकी संब वैध आज्ञाओं का पालन करती है।

3. मुस्लिम विधि के अन्तर्गत, पति तभी पत्नी का भरण-पोषण करने के लिये बाध्य होगा जब विवाह मान्य हो। यदि विवाह अनियमित या शून्य है तो पत्नी भरण-पोषण नहीं पा सकती। शिया विधि के अन्तर्गत मुता विवाह की पत्नी भरण-पोषण नहीं पा सकती।

वह नीचे दी हुई परिस्थितियों में भरण-पोषण की अधिकारिणी नहीं होती

1.यदि वह दाम्पत्य अधिवास को बिना मान्य कारण के त्याग देती है।

2 यदि वह पति को अपने पास नहीं आने देती।

3. यदि वह उसकी युक्तिसंगत आज्ञाओं का पालन नहीं करती है

4. यदि वह किसी वैध कारण के बिना पति के साथ रहने से इन्कार करती है।

5. यदि उसे (पत्नी को) कारावास हो गया है।

6. यदि वह किसी के साथ भाग गई है।

7. यदि वह अवयस्क है, जिसकी वजह से विवाह पूर्णावस्था को नहीं प्राप्त हो सकता है।

8. यदि वह स्वेच्छा से पति को छोड़ जाती है और अपने दाम्पत्य कर्तव्य का पालन नहीं करती।

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College of Law

9. यदि पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लेने पर उसे त्याग देने का समझौता कर लेती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण का अधिकार

पत्नी का पति से या पति की सम्पत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकार पति की मृत्यु होने पर समाप्त हो जाता है। अत: मुस्लिम स्त्री पति की मृत्यु की इद्दत के दौरान भरण-पोपण की हकदार नहीं होती। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भी विधवा भरण-पोषण की हकदार नहीं होती।

मुस्लिम विधि के अन्तर्गत ऐसी स्त्री, जिसका विवाह-विच्छेद हो गया है, अपने पूर्व पति से इदत काल तक भरण पोषण पाने की हकदार है, किन्तु इद्दत काल के पश्चात् नहीं। मुस्लिम तलाक शुदा स्त्री का भरण पोषण का अधिकार निम्नलिखित कुरान की आयतों पर आधारित है

तलाकशुदा स्त्री को इद्दत की अवधि में उसी तरह से रहने दो जिस तरह से तुम रहते हो, अपना पैसा खर्च करो, उन्हें परेशान मत करो और यदि वह गर्भवती है तब उन पर तव तक अपना पैसा खर्च करो जब पकि वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाती है। और यदि वह तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाती है तब उन्हें उनका उपचार दो.....।

और तलाकशुदा स्त्रियों के लिये एक अच्छा न्यायिक प्रावधान होना चाहिये। यह दायित्व उन लोगों के लिये है जो अल्लाह से डरते हैं।"

उक्त आयतों से यह स्पष्ट विदित होता है कि एक तलाकशुदा स्त्री अपने पति से केवल इद्दत की अवधि हुक ही भरण-पोषण का अधिकार रखती है। और यदि वह गर्भवती है तब जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो। जाता है यह भरण-पोषण का अधिकार रहेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अन्तर्गत 'पत्नी! शब्द के अन्तर्गत ऐसी पत्नी भी सम्मिलित है जिसका विवाह-विच्छेद हो गया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं। किया है। बाई ताहिरा बनाम अली हुसैन के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया कि तलाकशुदा पत्नी द्वारा भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार अधिनियमित (statutory) अधिकार है और इसे मुस्लिम विधि के नियमों से पराजित नहीं किया जा सकता।

जोहरा खातून बनाम मोहम्मद इब्राहीम के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के अन्तर्गत न केवल तलाकशुदा पत्नी ही सम्मिलित है, बल्कि इसके अन्तर्गत ऐसी

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

पत्नी भी सम्मिलित है जिसने मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत विवाह के विघटन की डिक्री प्राप्त कर लिया है, अत: इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद की डिक्री प्रॉपत कर लेने के बाद भी पत्नी अपने पूर्व पति से भरण-पोषण प्राप्त कर सकती है, बशर्ते उसने दूसरा विवाह न कर लिया हो।

भारतीय संसद ने इस विषय पर मुस्लिम विधि को स्पष्ट करने के लिये सन् 1986 में मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (The Muslim Woman (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986) पारित किया। इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार पूर्व पति तलाकशुदा पत्नी को उसकी इद्दत की अवधि तक भरण-पोषण देने के लिये बाध्य है। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, यदि मजिस्ट्रेट इस बात से सन्तुष्ट है कि तलाकशुदा पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया और इद्दत की अवधि के पश्चात् अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, वह उसके (पत्नी के) ऐसे रिश्तेदारों को, जो कि उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी सम्पत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने के हकदार हैं, उसे भरण-पोषण प्रदान करने का निर्देश देते हुए आदेश दे सकता है। यदि ऐसी तलाकशुदा स्त्री के पास बच्चे हैं तो केवल ऐसे बच्चों को ही भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश मजिस्ट्रेट देगा और यदि ऐसे बच्चे उसे भरण-पोषण प्रदान करने में असमर्थ हैं तो वह ऐसी तलाकशुदा स्त्री के माता पिता को उसे भरण-पोषण प्रदान करने का आदेश देगा। यदि माता पिता में से कोई मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित भरण-पोषण की धनराशि प्रदान करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट ऐसे रिश्तेदारों को ऐसी स्त्री को भरण-पोषण देने का आदेश दे सकता है जिसके पास भरण पोषण देने का साधन हो। यदि तलाकशुदा स्त्री के रिश्तेदार उसे भरण-पोषण प्रदान करने में असमर्थ हैं तो मजिस्ट्रेट उस राज्य के वक्फ बोर्ड को, जिस राज्य में तलाकशुदा स्त्री रहती है, भरण-पोषण देने का आदेश दे सकता है।

मुस्लिम महिला अधिनियम की धारा 3.(1)(अ) यह अनुबन्धित करती है कि तलाकशुदा पत्नी अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि के दौरान युक्तिसंगत और समुचित उपबन्ध (Provision) और भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है। युक्तिसंगत और समुचित उपबन्ध और भरण-पोषण पति के द्वारा इद्दत के दौरान और इद्दत की अवधि के लिये ही दिया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 3 (1) (अ) में 'अन्दर' (within) शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः विधायिका का आशय यह है कि पूर्व पति का तलाकशदा पत्नी को उपबन्ध और भरण-पोषण करने का दायित्व केवल इद्दत की अवधि के अन्दर (अर्थात् दौरान) सीमित है, इसके पश्चात् उसका इस सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं है।

PGS National College of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि पति और पत्नी भारतीय दण्ड संदिन 125 से धारा 128 के द्वारा तभी शासित होंगे यदि वे इस अधिनियम की धारा 5 में दिये भाये भीन अनुसार ऐसा विकल्प चुनते हैं। यदि वे ऐसे विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं तो वे संहिता की क ३| धारा 128 के अनुबन्धों से शासित नहीं होंगे।

सन् 1986 में जब मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 लागू हो गया तो पति ने उच्च न्यायालय में । अपील की कि अब वह पत्नी को भरण पोषण देने के लिये उत्तरदायी नहीं है क्योंकि सी- आर० पी० सी । की धारा 125 उसके ऊपर लागू नहीं होती ।

उच्च न्यायालय ने इस वाद में अपना निर्णय देते हुए कहा यद्यपि कि 1984 में भरण-पोषण के सप्यान्ध में ट्रायल कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया था परन्तु चूंकि उसके विरुद्ध रिविजन एप्लीकेशन न्यायालय के समय विचाराधीन है इसलिये यह वाद अभी लम्बित माता जायेगा और इस तरह यह वाट मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत तय किया जायेगा ।

PGSNational College Of Law

Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.